न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रं. 404-III / निगरानी / 07

R 404-III / 07

प्रेम सिंह पिता केसर जी, जाति सौंध्या,
निवासी ग्राम–खेरखेड़ी, तहसील जीरापुर
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म. प्र...निगरानीकर्ता / प्रार्थी

को प्रस्तुत। दि. 1-3-07

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
खिलचीपुर, जीरापुर जिला–राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.
2. भोनीसिंह पिता जगन्नाथ, जाति सौंध्या,
निवासी ग्राम–खेरखेड़ी, तहसील जीरापुर
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म. प्र...प्रत्यार्थी

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) खिलचीपुर, जीरापुर द्वारा प्रकरण क्रं. 24 / ए.-56 / 06–07 में आदेश दिनांक 15.02.07 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर निगरानी प्रस्तुत हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि शासन द्वारा प्रार्थी को, शासकीय नौकरी रिक्त पद कोटवार ग्राम खेरखेड़ी एवं श्यामपुर तहसील जीरापुर पर, अपनें पिता केसरजी कोटवार का कत्ल हो जानें से, विधिवत् नियुक्त किया गया। कई वर्षों तक शासकीय नौकरी कोटवार के पद पर कार्य करनें के पश्चात् प्रार्थी / निगरानीकर्ता के विरुद्ध पुलिस थाना जीरापुर में दो झूंठे आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गये। जिस पर से पुलिस थाना जीरापुर ने प्रार्थी के विरुद्ध शिकायत पर से बिना दोष सिद्ध के, बिना कोई आदेश दिये प्रत्यार्थी क्रं. 2 को अस्थाई नवनियुक्त कोटवार बना दिया। प्रार्थी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जानें पर पुनः अपनें कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु निवेदन किया। किन्तु नायब तहसीलदार साहब टप्पा माचलपुर द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। जिसके पश्चात् न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय खिलचीपुर–जीरापुर ने प्रार्थी को तत्काल कोटवार पद पर नियुक्त करनें का आदेश दिनांक 24.04.96 को दिया। जिसके विरुद्ध नवनियुक्त कोटवार प्रत्यार्थी क्रं. 2 ने श्रीमान अपर आयुक्त महोदय भोपाल के यहाँ अपील प्रस्तुत की। वहाँ से उक्त आदेश निरस्त करते हुए कुछ निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया कि म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के अंतर्गत दिए गए कोटवारी नियमों / प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर सम्यक निर्णय पारित करें। जिस पर से श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय खिलचीपुर–जीरापुर ने

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–404–तीन/2007 जिला–राजगढ़

प्रेम सिंह विरूद्ध म.प्र.शासन द्वारा अनु.वि.अ. व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) खिलचीपुर, जीरापुर, जिला–राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 24/ए–56/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 15–02–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारो 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	